

परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (ARC) संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लिये:

[परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों \(ARC\)](#), [गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों \(NPA\)](#), [प्रबंधनाधीन परसिंपत्तियों \(AUM\)](#), [खुदरा NPA](#), [राष्ट्रीय एसेटरकिंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड \(NARCL\)](#), [दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(IBC\)](#), [SARFAESI अधिनियम, 2002](#), [मैदावोलु नरसमिहम, योग्य खरीदार](#)

मेन्स के लिये:


परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (ARCs) के कामकाज में चुनौतियाँ और उपचारात्मक उपाय

[स्रोत: लाइव मटि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मार्च 2024 तक [गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों \(Non Performing Assets- NPA\)](#) का स्तर घटकर 12 वर्ष के नमिनतम स्तर 2.8% पर पहुँच गया जिसके कारण [परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों \(Asset Reconstruction Companies- ARC\)](#) की संवृद्धि में मंदी देखी गई।

- रेटिंग एजेंसी क्रसिलि के अनुसार 2023-2024 में स्थिर रहने के बाद ARC द्वारा [प्रबंधन के अधीन संपत्त \(AUM\)](#) 2024-2025 में 7-10% तक घट जाएगी।



परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (ARC) से संबंधित चर्चाएँ क्या हैं?

- **कम व्यावसायिक संभावना:** नई गैर-नष्पादित कॉर्पोरेट परसिंपत्तियों में कमी ने ARC को छोटे कम लाभदायक खुदरा ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रेरित किया है।
- चूंकि नई गैर-नष्पादित कॉर्पोरेट परसिंपत्तियों की संख्या में कमी आ रही है, इसलिये ARC लघु, कम लाभदायक खुदरा ऋणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
 - इस बदलाव के बावजूद **खुदरा NPA** में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, जो ARC के लिये अवसरों को और सीमित करता है।
- **नविश में वृद्धि का अधिदेश:** अक्टूबर 2022 में **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने ARC को बैंक नविश का कम से कम 15% प्रतभूत रसीदों (Security Receipts) में या जारी की गई कुल प्रतभूत रसीदों का 2.5%, जो भी अधिक हो, नविश करने का निर्देश दिया।
- **नविल स्वाधकृत नधि आवश्यकताएँ:** अक्टूबर 2022 में RBI ने ARC के लिये **न्यूनतम नविल स्वाधकृत नधि (Net Owned Funds) आवश्यकता** को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ARC की बैलेंस शीट सुदृढ़ हो।
 - इस निर्णय ने ARC के पूंजी उपयोग पर अतिरिक्त बाधाएँ लगाईं, जिसमें कई ₹300 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे थे, जिससे कंपनियों के बीच वलिय हुए अथवा कई कंपनियों कषेत्र से बाहर हुईं।
 - नविल स्वाधकृत नधि, नविल मूल्य (Net Worth) के समान होती है तथा इन्हें कंपनी के स्वामित्व तथा बकाया राशियों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **NARCL से प्रतसिंपत्तियाँ:** राज्य के स्वामित्व वाली **राष्ट्रीय परसिंपत्तियाँ पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL)** की स्थापना परसिंपत्तियाँ पुनर्निर्माण कंपनियों के लिये एक गंभीर चुनौती है क्योंकि NARCL सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतभूत रसीदें प्रदान करती है, जो वित्तीय संस्थानों के लिये अधिक आकर्षक हैं।
- **वनियामक चुनौतियाँ:** RBI ने यह भी अनविर्य किया है कि ARC को सभी नपिटान प्रस्तावों के लिये एक स्वतंत्र सलाहकार समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - इस उपाय के कारण नपिटानों की मंजूरी में **देरी हुई** है, विशेष रूप से खुदरा ऋणों के मामले में क्योंकि **सलाहकार समितियाँ भविष्य में जाँच** से बचने के लिये सतर्क हैं।
 - RBI की बढ़ती जाँच से प्रमुख ARC प्रभावित हुए हैं, **एडलवाइस ARC** को संबंधित समूह ऋणों के माध्यम से नयियों को दरकिनार करने के कारण नए ऋण देने पर प्रतर्बंध लगा दिया गया है।
- **वश्र्वास की कमी:** ऐसा प्रतीत होता है कि नियामक (RBI) और ARC के बीच वश्र्वास की कमी उत्पन्न हो गई है।
 - RBI ने चर्चा व्यक्त की है कि कुछ लेन-देन से **डिफॉल्टर्स प्रमोटर्स** को अपनी परसिंपत्तियों पर नयित्रण पुनः प्राप्त करने में मदद मलि रही है, जो **दवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC)** की धारा 29A के प्रावधानों का उल्लंघन है।
 - IBC की धारा 29A डिफॉल्टर्स प्रमोटर्स को अपनी दवालिया फर्मों के लिये बोली लगाने से रोकती है।

RBI क्यों वपिर्यय (Upset) है?


- कुछ ARC ने वनियमन से बचने के लिये लेन-देन की संरचना हेतु "नवाचार तरीकों" का उपयोग किया।
- उन्होंने स्वयं को सदाबहार संकटग्रस्त परसिंपत्तियों का माध्यम बनने दिया।
- तनाव को दूर करने के लिये उधारकर्त्ताओं के साथ एकमुश्त नपिटान का अक्सर उपयोग किया जाता है।
- ARC मार्ग का उपयोग दागी प्रमोटर्स द्वारा चूक के बाद नयित्रण पुनः प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है।

ARC क्या है?

- **परचिय:** परसिंपत्तियाँ पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है, जो बैंक के ऋणों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीदती है तथा ऋणों या संबंधित प्रतभूतियों की वसूली स्वयं करने का प्रयास करती है।
 - **ARC की पृष्ठभूमि:** ARC की अवधारणा **नरसमिहम समिति-II (1998)** द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप **सकियोरटिइजेशन एंड रकिंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोरसमेंट ऑफ सकियोरटि इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI अधिनियम, 2002)** के अंतर्गत ARC की स्थापना की गई।
 - वर्तमान में RBI के साथ **27 ARC पंजीकृत** हैं, जिनमें **NARCL, एडलवाइस ARC** और **आर्कलि** जैसी उल्लेखनीय कंपनियाँ शामिल हैं।
 - **ARC का पंजीकरण और वनियमन:** ARC **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत है और उसे **SARFAESI अधिनियम की धारा 3** के तहत RBI के साथ भी पंजीकृत होना चाहिये।
 - वे **SARFAESI अधिनियम** और **भारतीय रज़िर्व बैंक** द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।
 - **ARC के लिये वतित्तपोषण:** ऐसे ऋणों (NPA) को खरीदने के लिये आवश्यक धनराशि **अर्हता प्राप्त करेताओं (Qualified Buyers-QB)** से जुटाई जा सकती है। QB एकमात्र संस्थाएँ हैं, जिनसे ARC धन जुटा सकती हैं।
 - **QB में बीमा कंपनियाँ,** बैंक, राज्य वित्तीय और औद्योगिक विकास नगिम, SARFAESI के तहत पंजीकृत ट्रस्टी या ARC तथा SEBI के साथ पंजीकृत परसिंपत्तियाँ प्रबंधन कंपनियाँ शामिल हैं।
 - **ARC की कार्यप्रणाली:**
 - ARC नकदी या नकदी-सुरक्षा रसीदों के संयोजन के लिये छूट पर आपात ऋण खरीदते हैं, जिनमें **आठ वर्षों के भीतर मोचति** किया जा सकता है।
 - **आसत्/परसिंपत्तियाँ पुनर्निर्माण (Asset Reconstruction):** इसमें रकवरी के उद्देश्य से ऋण, एडवांस, डिविचर, बॉण्ड ,

गारंटी या अन्य क्रेडिट सुविधाओं में बैंक या वित्तीय संस्थान के अधिकारों को प्राप्त करना शामिल है, जिसे सामूहिक रूप से 'वित्तीय सहायता' कहा जाता है।

- **प्रतभूतकरण:** इसमें योग्य खरीदारों को प्रतभूत रिसीदे जारी करके वित्तीय परसंपत्तियाँ प्राप्त करना शामिल है।



गैर-नष्पादति परसंपत्ति (NPA)

- **परचय:** किसी ऋण को NPA के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उसे न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के भीतर चुकाया नहीं जाता।
 - **कृषि के लिये** किसी ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि **फसल मौसमों के लिये** मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
- **NPA के प्रकार:** बैंक NPA को इस आधार पर **तीन श्रेणियों में वर्गीकृत** करते हैं कि परसंपत्ति कितने समय से गैर-नष्पादति है और बकाया राशि वसूलने की संभावना कितनी है।
 - **अवमानक परसंपत्तियाँ:** अवमानक आसतियाँ वह परसंपत्ति हैं जिसे **12 महीने से कम** या उसके तुल्य अवधि के लिये NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - **अशोधित/संदग्ध परसंपत्तियाँ:** संदग्ध आसतियाँ वह परसंपत्ति हैं जो **12 महीने से अधिक अवधि के लिये गैर-नष्पादति** रही है।
 - **हानि आसति:** ऐसी संपत्ति जो वसूली योग्य नहीं है और जिसकी **वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं** है तथा जिसे पूरी तरह से **बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता** है।

RBI द्वारा ARC वनियमन में हाल ही में किये गए बदलाव

- **शासन संरचना को मजबूत करना:** RBI ने अनिवार्य किया है कि ARC में कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने के लिये बोर्ड की अध्यक्षता और बोर्ड मीटिंग में कम से कम आधे नदिशक स्वतंत्र नदिशक होने चाहिये।
- **पारदर्शिता बढ़ाना:** ARC को सुरक्षा रसीद नविशकों के लिये रटिर्न उत्पन्न करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा करना चाहिये और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये पछिले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लिये रेटिंग एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिये।
- **संशोधित नविश आवश्यकताएँ:** ARC को सुरक्षा प्राप्ति (SR) में अंतरणकरताओं के नविश का कम से कम 15% या जारी की गई कुल प्राप्ति का 2.5%, जो भी अधिक हो, नविश करना होगा, जो सभी प्राप्ति के 15% की पछिली आवश्यकता को प्रतस्थापति करेगा।

ARC के समक्ष चुनौतियों का समाधान करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **एसेट पोर्टफोलियो का वविधिकरण:** ARC को पारंपरिक कॉर्पोरेट और खुदरा ऋणों से परे अवसरों की खोज करके अपने एसेट पोर्टफोलियो में वविधिता लानी चाहिये।
 - इसमें **बुनियादी ढाँचा, MSME और तनावग्रस्त जैसे क्षेत्र** शामिल हो सकते हैं जिनमें अभी भी सुधार की संभावना है।
- **वनियामक पारदर्शिता और सहयोग में सुधार:** ARC को पारदर्शी संचालन और सभी दशानरिदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आरबीआई तथा अन्य वनियामक नकियाँ के साथ मलिकर कार्य करना चाहिये।
 - एक **मानक आचार संहिता स्थापति** करने से वशिवास और जवाबदेही में सुधार करने में भी मदद मलि सकती है।
- **नपिटान में दक्षता बढ़ाना:** स्वतंत्र सलाहकार समितियों से अनिवार्य अनुमोदन के कारण होने वाली देरी का मुकाबला करने के लिये **ARC एआई-संचालित एनालिटिक्स** जैसी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जो तेज़ी से मूल्यांकन करने में मदद कर सकती है, जिससे अनुपालन बनाए रखते हुए देरी को कम किया जा सकता है।

- **NARCL के साथ रणनीतिक प्रतस्पर्धा को अपनाना** : नज्दी ARC को वशिष्ट बाज़ारों के अनुरूप वशिष समाधान प्रदान करके या तीव्रता से वसूली तंत्र पर ध्यान केंद्रति करके **अपनी सेवाओं को अलग करने पर ध्यान केंद्रति करना चाहति** ।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. एसेट रकिंस्टरकशन कंपनतियों (ARC) के सामने आने वाली चुनौततियों पर चर्चा कीजति और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय बताइते ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नभिनलखिति कथनों में से कउन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परसिम्पत्ततियों के धारणीय संरचन पद्धतति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरगि ऑफ स्ट्रेचड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है?

- (a) यह सरकार द्वारा नरूपति वकिसपरक योजनाओं की पारसिथततिकि कीमतों पर वचिर करने की पद्धतति है ।
- (b) यह वास्तवकि कठनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वत्तितिय संरचना के पुनरसंरचन के लति भारतीय रजिर्व बैंक की स्कीम है ।
- (c) यह केन्दरीय सार्वजनकि क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की वनिविश योजना है ।
- (d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रयिान्वति 'इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्टसी कोड' का एक महत्त्वपूरण उपबंध है ।

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/concerns-in-asset-reconstruction-companies-arcs->

